*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–18/2013 196 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–17/01/2020

विषयः– पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा– पहाड़ी, पटना अवस्थित राज्य सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹4500.00 लाख (पैतालीस करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के कार्यान्वयन हेतु मौजा–पहाड़ी, पटना अवस्थित राज्य सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर ISBT, पटना के कार्यान्वयन हेतु ₹220.51 करोड़ की योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक– 02.01.2014 को प्रदान की गयी। यह स्वीकृति हुडको से बैंक गारंटी के विरूद्ध ऋण प्राप्त कर बुडको द्वारा योजना का कार्यान्वयन करने हेतु प्रदान की गयी थी। तद्नुसार विभागीय संकल्प संख्या– 121, दिनांक– 17.01.2014 निर्गत किया गया। पुनः इसे संशोधित करते हुए ₹331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिहार सरकार की गारन्टी के विरूद्ध हुडको से ऋण प्राप्त कर बुडको से कार्यान्वयन कराये जाने हेतु विभागीय संकल्प सं०– 8167, दिनांक– 08.11.2016 निर्गत किया गया।

2. स्वीकृति के पश्चात् बुडको द्वारा हुडको से ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा इसकी स्वीकृति हुडको द्वारा प्रदान भी की गई। हुडको द्वारा रखी गई शर्तों के अलावा Certificate of Commitment on Shortfall of revenue की माँग की जा रही थी। चूँकि पूर्व में ही ऋण के भुगतान हेतु Government Guarantee की स्वीकृति दी जा चुकी थी, ऐसी परिस्थिति में किसी अतिरिक्त शर्त पर Certificate of Commitment देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा था।

3. हुडको द्वारा प्रावधानित सभी शर्तों को मार्च, 2017 में ही पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु तीन महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी HUDCo द्वारा Loan की प्रथम किस्त की विमुक्ति नहीं की गयी, जबकि योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक का चयन कर उनके साथ एकरारनामा करते हुए कार्य भी प्रारम्भ हो गया था।

4. वर्णित स्थिति में पुनः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय संकल्प सं०– 6480, दिनांक– 24.10.2017 निर्गत किया गया, जिसमें यह निर्णय संसूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने निधि से करेगी। योजना की स्वीकृति ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) पर निम्नवत् प्रदान की गई :–

Sl. No.	Item	Amount (in Crore)
i	Tenderd Cost	275.21000
ii	Centage (as per new instruction given by finance deptt.)	6.95210
iii	Cost for Earth Filling	14.82000
iv	Cost for Boundry wall	5.36000
	Total Project Cost	**302.34210**

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 96, एवं आवंटनादेश सं०– 117, दिनांक–14.03.13 द्वारा ₹455.95459 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०– 220, एवं आवंटनादेश सं०– 221, दिनांक– 08.02.17 द्वारा ₹781.26 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०– 124, एवं आवंटनादेश सं०– 125, दिनांक– 28.02.2018 तथा राज्यादेश सं०– 62, दिनांक– 27.09.2018 एवं आवंटनादेश सं०– 06, दिनांक– 27.09.2018 ₹10000.00 लाख अर्थात् अबतक कुल ₹16237.21459 लाख बुडको को उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त उपलब्ध राशि के व्ययोपरांत प्रबंध निदेशक, बुडको के ज्ञापांक– 6563, दिनांक– 12.12.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के पत्रांक– 13726, दिनांक– 17.10.2019 द्वारा समर्पित किया गया है।

6. उक्त अनुरोध एवं विभागीय संकल्प संख्या– 6480, दिनांक– 04.10.2017 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹4500.00 लाख (पैतालीस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ– 6 के अनुसार निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	परियोजना की स्वीकृत राशि	अबतक कुल स्वीकृत / आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि {4–(5+6)}
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ISBT, पटना का कार्यान्वयन	बुडको	30234.21	16237.21459	4500.00	9496.99541

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹4500.00 लाख (पैतालीस करोड़ रु०) मात्र।

7. उक्त स्वीकृत कुल ₹4500.00 लाख (पैतालीस करोड़ रु०) मात्र के **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561,

दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) तथा पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि पटना नगर निगम के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। ISBT निर्माण की योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है, जिस हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा राशि का हस्तांतरण बुडको को किया जाएगा।***

8. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

9. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

11. स्वीकृत कुल राशि ₹4500.00 लाख (पैंतालीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01– राज्य की राजधानी का विकास–लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता–उप शीर्ष– 0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष– 0109.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

12. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०सु०–03–18/2013 के पृष्ठ सं०– 223 /टि० पर दिनांक– 16.1.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 224 /टि० पर दिनांक– 16.1.20 को प्राप्त है ।

15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल,/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17-01-2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक--2ब०/ना०सु०--03--18/2013 196 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक--17/01/2020

प्रतिलिपिः-- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी--सह-- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०--मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-01-2020

सरकार के विशेष सचिव।